न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 36 / 2017

उनवान

(1) थावरा पिता कचरू जाति भील निवासी अरथूना तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।

(2) मणि पत्नि थावरा जाति भील निवासी अरथूना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।

—: वादीगण

बनाम

(1) कमला पत्नि शंकर खांट जाति भील निवासी भाटोडा खटवाडा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 08.5.2025

प्रकरण का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भुमि खाता संख्या 176 नया, 532 पुराना के खसंरा संख्या 3047 / 546 रकबा 0.16 हैक्टर भुमि वाके गांव अरथूना पटवार हल्का अरथूना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा (राज.) मे स्थित होकर वादीगण इसका उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। 15 रोज पूर्व प्रतिवादीया आपराधिक आशय से वादीगण की उक्त भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर मकान निर्माण करने आमादा हो गयी और वादीगण को बेदखल करने की कोशिश की। जिस पर प्रतिवादीया को समझाने पर प्रतिवादीया लडाई—झगडा करने लगी तथा जमीन छोडकर चले जाने और स्त्री लज्जा भंग करने के झुठे प्रकरणों में फसाने की धमकीया देने लगी। प्रतिवादीया द्वारा वादीगण की भूमि में अनाधिकृत से किये जा रहे मकान निर्माण को रोकने एवं प्रतिवादीया का कब्जा हटाने वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश किया ।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीया को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर प्रतिवादीया की ओर से श्री गोविन्द सिंह चौहान अभिभाषक का वकालतनामा पेश हुआ। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 176 नया, 532 पुराना के खसंरा संख्या 3047 / 546 रकबा 0.16 हैक्टर भूमि वादीगण के खाते की होना गलत है। वाद दर्ज होने के 15 रोज पूर्व प्रतिवादी द्वारा वादीगण की भूमि अनाधिकृत प्रवेश कर अतिक्रमण करने की बात गलत है। प्रतिवादीया 60 वर्षीय विधवा महिला है उसके छोटे—छोटे बच्चे है वो अपने पति के खाते की भूमि पर शान्तिपूर्वक काश्त कर अपना जीवन यापन कर रही है। तथा प्रतिवादी ने मकान अपनी स्वयं की भूमि पर ही बनाया है। जहां उसका प्रति पिछले 50 वर्षो से काबिज होकर निवास कर रहा है और जहां उ[illegible] मकान था वही मकान बनाया है। अभी कोई नया मकान नहीं बना[illegible] [illegible] किया है इसलिए वादीगण वाद निरस्त करने का कथन किया।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा एवं दावे के संलग्न [illegible] दस्तावेज तथा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर प्रकरण में तनकियात् कायम की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.06.05 17:31:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाडा

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली वादीगण की साक्ष्य हेतु नियत की जाने पर वादीगण द्वारा साक्ष्य पेश नहीं की गई। प्रकरण प्रतिवादी की साक्ष्य हेतु नियत किये जाने पर प्रतिवादी द्वारा भी साक्ष्य पेश नहीं की गई। प्रकरण में बकुलाय की बहस सुनी गई। वादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस बताया कि उक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण के खाते की है जिसमें प्रतिवादीया द्वारा अतिक्रमण किया है। जिसे हटाने का निवेदन किया। प्रतिवादी अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया की प्रतिवादीया 60 वर्षीय विधवा महिला है। वह अपने पति द्वारा उसके जीवन काल में बनाये गये मकान में निवास करती है। उसके द्वारा कोई नया मकान नहीं बनाया है। बहस पर मनन् करने एवं पत्रावली में प्रस्तुत वाद, वाद संलग्न प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत् 2071 से 74 तथा प्रतिवादीया द्वारा प्रस्तुत जवाब का संक्षिप्त अवलोकन किया जाकर प्रकरण में तनकिवार निर्णय निम्नानुसार है:-

तनकी संख्या 01:– आया वादीगण के खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 176 (नया) 532 (पुराना) के खसरा संख्या 3047/546 रकबा 0.16 है0 भूमि वाके ग्राम अरथुना पटवार हल्का अरथुना तहसील अरथुना में स्थित होकर वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है।

(वादीगण साबित करे)

वादीगण द्वारा वाद के समर्थन में प्रस्तुत खाता संख्या 176 (नया) 532 (पुराना) संवत 2071 से 2074 की जमाबन्दी अनुसार वादीगण खातेदार दर्ज होने से उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 02:– आया वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या द्वारा आपराधिक आशय से अश्लील गाली गलोच करते हुऐ अनाधिकृत रूप से प्रवेश होकर उक्त भूमि पर मकान निर्माण करने आमादा होकर प्रार्थीगण को बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। जिसे आज्ञापक आदेश हटाया जाना आवश्यक है।

(वादीगण साबित करे)

उक्त तनके समर्थन में वादीगण द्वारा ऐसा कोई फोटोग्राफ अथवा दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो की प्रतिवादीया द्वारा वादीगण की भूमि में आनाधिकृत रूप से प्रवेश कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। जबकि उक्त तनकी विरूद्ध प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह अवगत कराया है कि प्रतिवादी 60 वर्षीय विधवा महिला है तथा अपने पति के खाते की भूमि में खेती करती है। व अपने पति द्वारा उसके जीवन काल में बनाये गये मकान में निवास करती है। नया कोई मकान नहीं बनाया है। अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध एवं प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.06.05 17:31:32 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 03:– आया वादग्रस्त भूमि वादीगण के [illegible] ना अस्वीकार है। प्रतिवादीया का जंहा मकान बना हुआ है वह [illegible] भूमि में बना हुआ नही है। प्रतिवादीया का मकान उसके पति के खाते व कब्जे तथा आधिपत्य की भूमि पर पिछले 50 वर्षो से अधिक समय से बना हुआ है।

(प्रतिवादी साबित करे)

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीया अपने जवाब यह बताया कि जहां उसका मकान बना हुआ है वह इस वाद पत्र में बताई गई कृषि भूमि में नहीं बना हो कर उसके पति के खाते व कब्जे तथा अधिपत्य की भूमि में पिछले 50 वर्षो से बना हुआ है। किन्तु उक्त तनकी के समर्थन ऐसा कोई दस्तावेज अथवा फोटोग्राफ पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो की प्रतिवादीगण का मकान वादग्रस्त भूमि में नहीं बना होकर उसके स्वयं के खाते की भूमि में बना है तथा वादग्रस्त भूमि वादीगण के खाते की नहीं हो ऐसा कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया है। प्रतिवादीया द्वारा उक्त तनकी के विरूद्ध खाता संख्या 176 (नया) 532 (पुराना) संवत 2071 से 2074 की जमाबन्दी पेश की जिससे यह साबित होता है। वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार है। अतः उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 04:– वादीगण का वाद अन्दर म्याद नही होने से काबिल निरस्ती है। तथा प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा कानून जारी कराने के वादीगण हकदार नही है।

(प्रतिवादी साबित करें)

प्रतिवादीया ने अपने जवाब में यह बताया कि वादग्रस्त भूमि में वर्तमान में कोई निर्माण कार्य नहीं किया है। प्रतिवादीया का मकान पिछले 50 वर्षो से बना है इसलिए वादीगण का वाद म्याद बाहर है। उक्त तनकी के विरूद्ध वादीगण ने वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत 2071 से 2074 पेश की जिससे यह साबित होता है कि वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार है किन्तु वादीगण यह साबित करने में असफल रहे है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीया नें कब अतिक्रमण कर निर्माण किया है। अतः प्रतिवादीया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 05 अनुतोषः– तनकी संख्या 01 व 03 वादीगण के पक्ष में व तनकी संख्या 02 व 04 प्रतिवादीया के पक्ष में निर्णित किये जाने तथा वादीगण यह साबित करने में असफल की वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीया ने कब अतिक्रमण कर निर्माण किया है। लिहाजा वादीगण का वाद वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

निर्णय दिनांक 02.05.2025 को ज़ारी किया गया।

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.06.05 17:31:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 36/2017

उनवान

(1) थावरा पिता कचरू जाति भील निवासी अरथूना तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।

(2) मणि पत्नि थावरा जाति भील निवासी अरथूना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।

—: वादीगण

बनाम

(1) कमला पत्नि शंकर खांट जाति भील निवासी भाटोडा खटवाडा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 08.5.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादी की ओर से प्रस्तुत वाद वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाकर इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 08.5.2025 को जारी की गई।

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		
कुल	शून्य	कुल	शून्य

Signature Not Verified

Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.06.05 17:31:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा

Scanned with OKEN Scanner